

दिनांक

आजा पत्र

2.11.18

पत्रावली पेश। वकील अपील कर 30
वकील अपील कर के नोटिस 10 दि 100 पेश
करके हेतु कर्मचारियों के अतिरिक्त के अतिरिक्त
अपील पेश। वकील अपील कर 22.11.18
का पेश हो।

22.11.18

पत्रावली पेश। वकील अपील कर 30
रजि. के नोटिस 10 दि 100 पेश करे
पेश हो। वकील अपील कर 22.11.18
दिनांक 30.11.18 का पेश हो।

30.11.18

पत्रावली पेश। वकील अपील कर 30
रजि. के नोटिस 10 दि 100 पेश करे
दिनांक 30.11.18 का पेश हो।
वकील अपील कर 17.12.18 का पेश हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

17-12-18

पत्रावली पेश। वकील अपील कर को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेषपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील कर के रेषपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील कर अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील कर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फाइल शुमार होकर नम्बर
से कथ होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

17/12/18

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोकर

